IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH, JAIPUR

O R D E R

(1) S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 2938/2004
ABHAY SINGH Vs. BOARD OF REVENUE & ORS.
&
(2) S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 642/2004
SHYAM LAL & ORS. Vs. BOARD OF REVENUE & ORS.

DATE: 19.09.2007

HON'BLE MR. JUSTICE K.S. RATHORE

Mr. Devi Singh Choudhary for the petitioners.
Mr. B.S. Chhaba, Dy. GA for the State.

****

Both the writ petitions are involving similar questions of law, therefore, they are being decided by this common order.

Writ Petition No. 2938/2004 is still not admitted, whereas another connected Writ Petition No. 642/2004 has already been admitted by this Court vide order dated 19.03.2004. At the request of the learned counsels appearing for the respective parties, the matter is heard finally at this stage.

Writ Petition No. 2938/2004 is directed against the order dated 16.06.2003 passed by the Board of Revenue, Ajmer in (1) Reference/LR(TA)/62/2001- State of Rajasthan Vs. Dilsukh, (2) Reference/LR(TA)/65/2001- State of Rajasthan Vs. Teja Bewa Ramkhilada,

(3) Reference/LR(TA)/67/2001- State of Rajasthan Vs. Abhay Singh, (4) Reference/LR(TA)/71/2001- State of Rajasthan Vs. Pooran, (5) Reference/LR(TA)/76/2001- State of Rajasthan Vs. Radheyshyam, (6) Reference/LR (TA)/77/2001- State of Rajasthan Vs. Ramkhiladi, (7) Reference/LR(TA)/78/2001- State of Rajasthan Vs. Harhans, (8) Reference/LR(TA)/79/2001- State of Rajasthan Vs. Harisingh and (9) Reference/LR(TA)/ 80/2001- State of Rajasthan Vs. Kishani.

Another connected Writ Petition No. 642/2004 is directed against the order dated 10.07.2003 passed by the Board of Revenue, Ajmer in (1) Reference/LR(TA)/ 68/2001- State of Rajasthan Vs. Karan Singh, Lakhan Singh, Hirmat singh, (2) Reference/LR(TA)/70/2001- State of Rajasthan Vs. Harimohan, (3) Reference/LR(TA)/ 72/2001- State of Rajasthan Vs. Ramshri Bewa Kalua and (4) Reference/LR(TA)/75/2001- State of Rajasthan Vs. Shyamlal.

The Board of Revenue after considering the submissions made on behalf of the respective parties, made observations that the land bearing Khasra No. 111 belongs to Gair Mumkin river and observed as under:-

> "7 इन प्रकरणों में अप्रार्थीगण के पक्ष में खसरा नम्बर 111 जो कि निर्विवादित रूप से गैर मुमकिन नदी राजस्व रिकार्ड में अंकित है का नियमन किये जाने के आधार पर गैर खातेदारी के

नामान्तरकरण जो कि पैरा सं0 2 की तालिका के कॉलम सं0 4 में अंकित है, स्वीकृत किये गये और तत्पश्चात तालिका के कॉलम सं0 5 में अंकित नामान्तरकरण के माध्यम से अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी इन्द्राज किये गये। जबकि यह भूमि गैर मुमकिन नदी है इनका प्रथम तो आवंटन एवं नियमन ही अवैध है क्योंकि आवंटन नियमों के तहत भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने के कारण ऐसी भूमि का आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता। यदि नदी के पेटे में किसी के द्वारा अस्थाई रूप से काश्त की जाती है तो उसके लिए अस्थाई आंवटन हेतु आवंटन की व्यवस्था है और Rajasthan Land Revenue (Allotment of Tank-Bed Lands for Cultivation) Rules 1961 में तालाब या नदी के पेटे में काश्त हेतु आवंटन के प्रावधान दिये गये है। ऐसी भूमि पर स्थाई रूप से आवंटन नहीं किया जा सकता न ही ऐसी नदी के पेटे की भूमि पर गैर खातेदारी या खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है इसलिए आवंटन कमेटी द्वारा यदि अस्थाई आवंटन/नियमन हेतु कोई सिफारिश की भी गई है तो उस आधार पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार के गैर खातेदारी या खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते न ही कोई नामान्तरकण ही इस हेतु स्वीक़त किया जा सकता है। इसलिये तहसीलदार द्वारा पैरा सं0 2 की तालिका के कॉलम सं0 4 व 5 में अप्रार्थीगण के नाम जो नामान्तरकण गैर खातेदारी व खातेदारी के स्वीक़त किये गये वे भू राजस्व अधिनियम एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही प्रारंभ से ही शून्य व अवैध है जो निरस्त योग्य है।"

Similarly in Writ Petition No. 642/2004, while allowing the references, similar view has been taken by the Board of Revenue and observed as under:-

“7 इन प्रकरणों में अप्रार्थीगण के पक्ष में खसरा नम्बर 111 जो कि निर्विवादित रूप से गैर मुमकिन नदी राजस्व रिकार्ड में अंकित है का नियमन किये जाने के आधार पर गैर खातेदारी के नामान्तरकरण जो कि पैरा सं0 2 की तालिका के कॉलम सं0 4 में अंकित है, स्वीकृत किये गये और तत्पश्चात तालिका के कॉलम सं0 5 में अंकित नामान्तरकरण के माध्यम से अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी इन्द्राज किये गये। जबकि यह भूमि गैर मुमकिन नदी है इनका प्रथम तो आवंटन एवं नियमन ही अवैध है क्योंकि आवंटन नियमों के तहत भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने के कारण ऐसी भूमि का आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता। यदि नदी के पेटे में किसी के द्वारा अस्थाई रूप से काश्त की जाती है तो उसके लिए अस्थाई आंवटन हेतु आवंटन की व्यवस्था है और Rajasthan Land Revenue (Allotment of Tank-Bed Lands for Cultivation) Rules 1961 में तालाब या नदी के पेटे में काश्त हेतु आवंटन के प्रावधान दिये गये है। ऐसी भूमि पर स्थाई रूप से आवंटन नहीं किया जा सकता न ही ऐसी नदी के पेटे की भूमि पर गैर खातेदारी या खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है इसलिए आवंटन कमेटी द्वारा यदि अस्थाई आवंटन/नियमन हेतु कोई सिफारिश की भी गई है तो उस आधार पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार के गैर खातेदारी या खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते न ही कोई नामान्तरकण ही इस हेतु स्वीक़त किया जा सकता है। इसलिये तहसीलदार द्वारा पैरा सं0 2 की तालिका के कॉलम सं0 4 व 5 में अप्रार्थीगण के नाम जो नामान्तरकण गैर खातेदारी व खातेदारी के स्वीक़त किये गये वे भू राजस्व अधिनियम एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही प्रारंभ से ही शून्य व अवैध है जो निरस्त योग्य है।"

Having considered the rival submissions of the respective parties and upon careful perusal of the order impugned passed by the Board of Revenue in the references, it is not disputed that the land bearing Khasra No. 111 in village Mauloni is Siwai Chak river land as per the revenue record and the same was allotted to the grandfather of the petitioner along with other persons against the provisions of the rules, therefore, the aforesaid allotment being illegal was null and void and the Additional Collector correctly made reference to the Board of Revenue on the grounds that since it was government siwai chak river land, therefore, according to the provisions of rules, it cannot be allotted to any person. It is also requested that if the aforesaid land was allotted to the petitioner or anybody else and thereafter mutation was opened in the name of the petitioner, it was against the provisions of Section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955. The river land can be allotted to the petitioner for cultivation on temporary basis but the same cannot be regularised in favour of the petitioner.

In view of the settled proposition of law and as per the provisions of Section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, it is not disputed that the said land is Siwai Chak river land and only on the basis of

possession for long period, the petitioner is not entitled to get the land allotted in his favour and the possession of the petitioner cannot be regularised as per the provisions of Section 16 of the Rajasthan Tenancy Act.

Thus, I find no illegality in the orders impugned dated 16.06.2003 and 10.07.2003 passed by the Board of Revenue, Ajmer and I also do not find any merit in the present writ petitions.

Consequently, both the writ petitions fail and the same are dismissed.

The interim orders dated 12.05.2004 and 19.03.2004 granted by this Court in Writ Petition Nos. 2938/2004 and 642/2004 respectively stand rejected. The Stay Application Nos. 2550/2004 and 584/2004 also stand dismissed.

(K.S. RATHORE),J.

/KKC/